265

संख्याः 122 / XXIII / 2011 / 01 / रिट / 2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2011।

विषय :– **रिट याचिका संख्या 1865 (एस / बी) / 2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन बनाम राज्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–558 / XXIII/2011/01/रिट / 2011 दिनांक 28.07.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 1865(एम / बी)2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0 बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12. 2010 के क्रम में ₹ 12,72,980 / – (₹ बारह लाख बहतर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की धनराशि मै0 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0 को भुगतान किये जाने हेतु डिक्री मद से वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक, 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 800–अन्य व्यय, 06–मा0 न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि एवं 42–अन्य व्यय मद से आपके निर्वतन पर रखी गई थी, परन्तु वर्तमान में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय दिनांक 23–12–2010 के विरूद्व उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या– 5093 / 2011 दायर की गयी है जो कि अभी मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 28–7–2011 द्वारा आहरित की गयी ₹ 12,72,980 / – (₹ बारह लाख बहतर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को वित्त विभाग को समर्पित की जाती है।

3– यदि उक्त याचिका में मा0 उच्चतम न्यायलय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को ही भुगतान के आदेश दिये जाते है तो वित्त विभाग से पुनः डिक्री मद से धनराशि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

4. अब प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 की 0039–राज्य उत्पादन शुल्क, 00–800–अन्य प्राप्तियाँ, 05–अन्य व्यय मद में समर्पित की जाती है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 179NP / XXVII(5) / 2011–12 दिनांक 16.12.2011 में प्राप्त उनके सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव

संख्याः 122 / XXIII / 2011 / 01 / रिट / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।

क्रमशः 2

3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय कुमार, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. नोडल अधिकारी/कोर्ट केसेज/जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री जी0सी0 ठाकुर, उप प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0, शिमला।
9. आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव